भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआइ / 2012-13/68

बैपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 3 /13.03.00/2012-13 **2 जुलाई 2012**

11 आषाढ़ 1934(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय / महोदया

मास्टर परिपत्र - एक्सपोज़र संबंधी मानदण्ड

कृपया आप 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.7/13.03.00/ 2011-12 देखें जिसमें **एक्सपोज़र संबंधी मानदण्डों** से संबंधित विषयों पर उस तारीख तक बैंकों को जारी किये गये अनुदेश / दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं। 30 **जून** 2012 तक जारी किये गये अनुदेशों को शामिल करते हुए उक्त मास्टर परिपत्र को समुचित रूप से अद्यतन कर दिया गया है और इसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (**http://www.rbi.org.in**) पर भी उपलब्ध करा दिया गया है । मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है।

भवदीय

(सुधा दामोदर)
मुख्य महाप्रबंधक
अनु : यथोक्त

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 13 वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400001
Department of Banking Operations and Development, 13th floor, NCOB, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai, 400001
फैक्स/Fax No: 0091-22-22701241 टेलिफोन /Tel No:22601000 Email ID: cgmicdbodco@rbi.org.in

विषय-वस्तु

पैरा नं.	ब्योरे	पृष्ठ सं.
क	उद्देश्य	1
ख	वर्गीकरण	1
ग	पूर्व अनुदेश	1
घ	प्रयोज्यता	1
1	प्रस्तावना	3
2	दिशानिर्देश	3
2.1	एकल / सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति ऋण एक्सपोज़र	3
2.1.1	उच्चतम सीमाएं	3
2.1.2	छूट	5
2.1.3	परिभाषाएं	6
2.1.4	समीक्षा	10
2.2	उद्योग क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र	10
2.2.1	आंतरिक एक्सपोज़र सीमाएं	11
2.2.2	पट्टेदारी, किराया खरीद और फैक्टरिंग सेवाओं में एक्सपोज़र	13
2.2.3	विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों /पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों की विदेश स्थित सहायक कंपनियों की सहायक कंपनियों (स्टेप-डाउन सब्सिडियरिज़) में एक्सपोज़र	14
2.3	पूंजी बाज़ार में बैंकों के एक्सपोज़र	15
2.3.1	पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र (सीएमई) के घटक	15
2.3.2	अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं (आइपीसी)	17
2.3.3	पूंजी बाज़ारों में बैंकों के एक्सपोज़र पर सीमाएं	18
2.3.4	निवल मालियत की परिभाषा	20
2.3.5	पूंजी बाजार एक्सपोज़र में शामिल न की गई मदें	20
2.3.6	एक्सपोज़र की गणना	21
2.3.7	एक दिन के भीतर किए गए एक्सपोजर	21
2.3.8	सीमाओं में वृद्धि	22
2.4	ईक्विटी का वित्तपोषण तथा शेयरों में निवेश	22
2.4.1	शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	22
2.4.2	प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) का वित्तपोषण	22
2.4.3	कर्मचारियों को उनकी अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए बैंक वित्त	22

2.4.4	शेयर दलालों (स्टॉक ब्रोकर) और मार्केट मेकरों को शेयरों की जमानत पर अग्रिम	23
2.4.5	संयुक्त धारकों अथवा अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) हिताधिकारी के शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को बैंक का वित्तपोषण	24
2.4.6	म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की जमानत पर अग्रिम	24
2.4.7	शेयरोंडिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अन्य उधारकर्ताओं को अग्रिम	25
2.4.8	प्रवर्तकों के अंशदान के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण	25
2.4.9	तात्कालिक ऋण (ब्रिज लोन)	26
2.4.10	उद्यम पूंजी निधि में बैंकों का निवेश	26
2.4.11	शेयरों/गारंटियां जारी करने की जमानत पर अग्रिमों पर मार्जिन	26
2.4.12	भारत सरकार का विनिवेश कार्यक्रम	27
2.4.13	क. विदेशी कंपनियों में ईक्विटी के अधिग्रहण के लिए वित्त प्रदान करना ख. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की पुनर्वित्त योजना	27
2.4.14	आर्बिट्रेज आपरेशंस	28
2.4.15	मार्जिन ट्रेडिंग	28
2.5	जोख़िम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	29
2.5.1	निवेश नीति	29
2.5.2	निवेश समिति	29
2.5.3	जोख़िम प्रबंधन	29
2.5.4	लेखा-परीक्षा समिति	30
2.6	मूल्यांकन और प्रकटीकरण	31
2.7	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के बीच परस्पर पूँजी धारिता	31
2.8	मार्जिन अपेक्षाएं	32
क	पण्य बाजारों में बैंक का एक्सपोज़र	32
ख	मुद्रा डेरिवेटिव्ज क्षेत्र के संबंध में बैंक का एक्सपोजर	32
2.9	गैर जमानती गारंटियों और गैर जमानती अग्रिमों में एक्सपोज़र संबंधी सीमाएं	32
2.10	शेयरों डिबेंचरों आदि के सार्वजनिक निर्गमों के लिए `सुरक्षा-तंत्र' योजनाएं	33
2.10.1	`सुरक्षा तंत्र' योजनाएं	33
2.10.2	पुन: क्रय सुविधाओं का प्रावधान	34
अनुबंध 1	मूलभूत सुविधा उधार की परिभाषा और मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल मदों की सूची	35

अनुबंध 2	अखिल भारतीय वित्तीय कंपनियों के बांडों की गारंटी देने वाली संस्थाओं की सूची	37
अनुबंध 3	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची जिनके लिखतों को पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा से छूट है	38
परिशिष्ट	समेकित परिपत्रों की सूची	39

एक्सपोज़र संबंधी मानदंड पर मास्टर परिपत्र

क. <u>उद्देश्य</u>

इस मास्टर परिपत्र में एकल /सामूहिक उधारकर्ताओं के लिए ऋण एक्सपोज़र सीमाओं तथा किसी विशिष्ट उद्योग अथवा क्षेत्रों में ऋण एक्सपोज़र तथा बैंकों के पूंजी बाज़ार एक्सपोजरों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी नियमों /विनियमों/ अनुदेशों का संग्रह किया गया है।

ख. <u>वर्गीकरण</u>

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक दिशानिर्देश।

ग. <u>पूर्व अनुदेश</u>

इस मास्टर परिपत्र में **परिशिष्ट** में सूचीबद्ध परिपत्रों में उपर्युक्त विषय पर निहित अनुदेशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है।

घ. <u>प्रयोज्यता</u>

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

<u>संरचना</u>

1 **प्रस्तावना**

2 **दिशानिर्देश**

- 2.1 एकल / सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति ऋण एक्सपोज़र
- 2.2 उद्योग तथा कतिपय क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र
- 2.3 पूंजी बाज़ार में बैंकों के एक्सपोज़र- मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना
- 2.4 ईक्विटी का वित्तपोषण तथा शेयरों में निवेश
- 2.5 जोख़िम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
- 2.6 मूल्यांकन और प्रकटीकरण
- 2.7 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के बीच परस्पर पूँजी धारिता
- 2.8 पण्य बाजारों में बैंकों का एक्सपोज़र - मार्जिन अपेक्षाएं
- 2.9 गैर जमानती गारंटियों और गैर जमानती अग्रिमों में एक्सपोज़र संबंधी सीमाएं
- 2.10 शेयरों डिबेंचरों आदि के सार्वजनिक निर्गमों के लिए `सुरक्षा-तंत्र' योजनाएं

3 अनुबंध

अनुबंध 1	मूलभूत सुविधा उधार की परिभाषा और मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल मदों की सूची
अनुबंध 2	कार्पोरेट बांडों की गारंटी देने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची
अनुबंध 3	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची जिनके लिखतों को पूंजी बाजार एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा से छूट है

4 परिशिष्ट समेकित परिपत्रों की सूची

1 प्रस्तावना

बेहतर जोख़िम प्रबंधन के उद्देश्य से विवेकपूर्ण मानदंड के रूप में और ऋण जोखिमों को संकेंद्रित न होने देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग या क्षेत्रों के प्रति एक्सपोज़र की सीमा नियत कर लें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में एकल उधारकर्ताओं और सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोज़र के संबंध में विनियामक सीमाएं निर्धारित की हैं। इसके अलावा बैंकों से अपेक्षित है कि वे शेयरों परिवर्तनीय डिबेंचरों /बांडों ,ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर अग्रिमों /उनमें निवेश के संबंध में तथा जोखिम पूंजी निधियों में सभी एक्सपोज़रों के संबंध में कतिपय सांविधिक और विनियामक एक्सपोज़र सीमाओं का पालन करें। बैंकों को एक्सपोज़र मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

2 <u>दिशानिर्देश</u>

2.1 <u>एकल / सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति ऋण एक्सपोज़र</u>

2.1.1 <u>उच्चतम सीमाएं</u>

2.1.1.1 एक्सपोज़र संबंधी उच्चतम सीमाएं, एकल उधारकर्ता के मामले में पूँजीगत निधि का 15 प्रतिशत तथा सामूहिक उधारकर्ता के मामले में 40 प्रतिशत होंगी। इस प्रयोजन से पूंजीगत निधियों में पूंजी पर्याप्तता मानकों के अंतर्गत परिभाषित किए गए अनुसार टीयर I तथा टीयर II पूंजी शामिल होगी (कृपया इस मास्टर परिपत्र का पैरा 2.3.5 भी देखें)।

2.1.1.2 एकल ऋणकर्ता के प्रति ऋण एक्सपोज़र की सीमा को बैंक की पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत के मानदंड से 5 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 20 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण एक्सपोज़र मूलभूत सुविधाओं के लिए दिया जा रहा हो। सामूहिक ऋणकर्ताओं के प्रति ऋण एक्सपोज़र सीमा को बैंक की पूंजीगत निधियों के 40 प्रतिशत के मानदंड से 10 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 50 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण एक्सपोज़र मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं के लिए दिया जा रहा हो। मूलभूत सुविधा उधार की परिभाषा तथा मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की गयी मदों की सूची **अनुबंध I** में दी गयी है।

2.1.1.3 ऊपर पैरा 2.1.1.1 तथा 2.1.1.2 में अनुमत एक्सपोज़र के अलावा, बैंक आपवादिक परिस्थितियों में अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से किसी उधारकर्ता (एकल तथा सामूहिक) को अपनी पूँजीगत निधियों के 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त

एक्सपोज़र प्रदान पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते बैंकों द्वारा अपने वार्षिक रिपोर्टों में उचित प्रकटन करने के लिए उधारकर्ता की सहमति हो ।

2.1.1.4 भारत सरकार द्वारा जिन तेल कंपनियों को तेल बांड (जिनका एसएलआर दर्जा नहीं है) जारी किए गए हैं केवल उनके मामले में 29 मई 2008 से एकल उधारकर्ता के संबंध में एक्सपोज़र सीमा को पूंजीगत निधियों के पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाया गया है । इसके अतिरिक्त मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.1.1.3 के अनुसार पहले की तरह ही अपवादात्मक परिस्थितियों में बैंक तेल कंपनियों में एक्सपोज़र को पूंजीगत निधियों के और 5 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं ।

2.1.1.5 बैंकों का किसी वर्ष के दौरान एक्सपोज़र के विवेकपूर्ण मानदंडों की सीमा से अधिक एक्सपोज़र होने की स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न `लेखा संबंधी टिप्पणी' में उपयुक्त सूचना दें।

2.1.1.6 **<u>गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोज़र</u>**

बैंक का एनबीएफसी /एनबीएफसी - एएफसी (परिसंपत्ति वित्तपोषण कंपनी) में एक्सपोज़र (तुलन पत्रेतर एक्सपोज़र सहित उधार तथा निवेश, दोनों), बैंक के अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार उसकी पूंजीगत निधियों के क्रमश: 10 प्रतिशत / 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि बैंक किसी एकल एनबीएफसी /एनबीएफसी - एएफसी में अपनी पूंजीगत निधियों के क्रमश: 15 प्रतिशत /20 प्रतिशत तक एक्सपोज़र कर सकते हैं बशर्ते वह एक्सपोज़र एनबीएफसी/ एनबीएफसी - एएफसी द्वारा मूलभूत सुविधा क्षेत्र को आगे दी गई उधार निधायों के कारण हुआ है। मूलभूत संरचना वित्त कंपनियों (आइएफसी) में बैंक के एक्सपोजर बैंक के अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार उसकी पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए और यदि वह एक्सपोज़र आइएफसी द्वारा मूलभूत सुविधा क्षेत्र को आगे दी गई उधार निधायों के कारण हुआ है तो उसमें उसे 20 प्रतिशत तक बढाने का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को चाहिए कि वे सभी एनबीएफसी को मिलाकर उनमें अपने कुल एक्सपोजर पर आंतरिक सीमाएं निर्धारित करने पर विचार करें।तुलन पत्र के प्रकाशन की तारीख के बाद पूंजीगत निधियों में हई वृद्धि को भी पूंजीगत निधीयों की गणना के प्रयोजन से विचार में लिया जाना चाहिए। पूंजीगत निधियों में इन वृद्धियों की गणना करने से पूर्व बैंकों को पूंजी के संवर्धन की पूर्ति होने पर बाहरी लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करना चाहिए।

2.1.1.7 **<u>सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देना</u>**

एक्सपोजर संबंधी उपर्युक्त सीमाएँ सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत ऋण दिए जाने के मामले में भी लागू होंगी।

2.1.1.8 **<u>साख पत्र (एलसी) के अंतर्गत भुनाए गए बिल</u>**

उन मामलों में जहां बिल डिस्काउंट करने वालाखरीदने/ वालाबेचान/ करने वाला बैंक और एलसी जारी करने वाला बैंक अलगअलग- है वहां एलसी के अंतर्गत खरीदे गयेडिस्काउंट/ किये गयेबेचान/ किये गये बिल (जहां हिताधिकारी को भुगतान 'अंडर रिज़र्व' नहीं किया गया है(एलसी जारी करने वाले बैंक के प्रति एक्सपोजर माने जाएंगे । तथापि, उन मामलों में जहां बिल डिस्काउंट करने वालादनेखरी/ वालाबेचान/ करने वाला बैंक और एलसी जारी करने वाला बैंक एक ही बैंक के अंग हैं, अर्थात् जहां एलसी उसी बैंक के प्रधान कार्यालय या शाखा द्वारा जारी किया गया है, वहां एक्सपोजर थर्ड पार्टीउधारकर्ता/ पर होगा, एलसी जारीकर्ता बैंक पर नहीं । 'अंडर रिज़र्व' बेचान के मामले में, एक्सपोजर उधारकर्ता पर माना जाना चाहिए ।

2.1.2 <u>छूट</u>

2.1.2.1 **<u>बीमार / कमजोर औद्योगिक इकायों का पुनर्वास</u>**

एकल /समूह एक्सपोज़र सीमाओं पर उपर्युक्त सीमाएं पुनर्वास पैकज के अंतर्गत कमजोर/बीमार अठद्योगिक इकायों को मंजूर की गयी वर्तमान/अतिरिक्त ऋण सुविधाओं (ब्याज और अनियमितताओं के निधीयन सहित) के मामले में लागू नहीं होंगी ।

2.1.2.2 **<u>खाद्य ऋण</u>**

जिन उधारकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीधे ही खाद्य ऋण सीमाएं आबंटित की जाती हैं, उन्हें उक्त उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त होगी ।

2.1.2.3 **<u>भारत सरकार द्वारा गारंटियाँ</u>**

एकल / समूह एक्सपोज़र सीमाएँ उन परिस्थितियों में लागू नहीं होंगी जब मूलधन तथा ब्याज भारत सरकार द्वारा पूर्णत: गारंटीकृत हो।

2.1.2.4 **<u>स्वयं की मीयादी जमाराशियों की जमानत पर ऋण</u>**

किसी बैंक की स्वयं की मीयादी जमाराशियों की जमानत पर मंजूर किए गए ऋणों और अग्रिमों (दोनों निधिक तथा गैर-निधिक सुविधाएं) को ऐसी जमाराशियों पर बैंक के विशिष्ट ग्रहणाधिकार की सीमा तक एक्सपोज़र के अभिकलन के लिए गिना न जाए ।

2.1.2.5 **<u>नाबार्ड में एक्सपोज़र</u>**

एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा पर लागू उच्चतम सीमा नाबार्ड में बैंकों के एक्सपोज़र पर लागू नहीं होगी । अलग-अलग बैंक अपने निदेशक बोर्ड द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार नाबार्ड में एक्सपोज़र की मात्रा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं । तथापि, बैंक यह नोट करें कि समय-समय पर संशोधित किए गए, बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा परिचालन पर विवेकपूर्ण मानदंड पर मास्टर परिपत्र के अनुसार निर्धारित रेट न की गई एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों में निवेशों से संबंधित प्रतिबंधों से कोई छूट नहीं है ।

2.1.3 <u>परिभाषाएं</u>

2.1.3.1 **<u>एक्सपोज़र</u>**

एक्सपोज़र में ऋण एक्सपोज़र (निधिक और गैर निधिक ऋण सीमाएं) और निवेश एक्सपोज़र (हामीदारी और उसी तरह की वचनबद्धताओं सहित) शामिल होंगे । एक्सपोज़र की सीमा की गणना करने के लिए मंजूर ऋण सीमा या बकाया राशि, दोनों में से जो भी अधिक हों, को हिसाब में लिया जाएगा । तथापि, पूर्णत: आहरित मीयादी ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी भाग के पुन: आहरण की कोई गुंजाइश नहीं है, बैंक ऐसी बकाया राशि को एक्सपोज़र के रूप में गिने।

2.1.3.2 **<u>डेरिवेटिव उत्पादों के एक्सपोजर का मापन</u>**

एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों के प्रयोजन के लिए बैंक ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन तथा स्वर्ण के कारण होनेवाले अपने ऋण एक्सपोज़रों की गणना करने के लिए नीचे दी गई `वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति' का उपयोग करें । ऋण एक्सपोज़र की गणना करते समय बैंक `सोल्ड ऑप्शन्स' को ध्यान में न ले बशर्ते संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क अथवा किसी अन्य स्वरूप की आय प्राप्त/वसूल हुई है ।

ऐसी डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होनेवाले बाजार दर पर अंकित (एमटीएम)मूल्यों की द्विपक्षीय नेटिंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार बैंकों को पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों के प्रयोजन के लिये ऐसी संविदाओं के सकल धनात्मक बाजार दर पर अंकित मूल्य की गणना करनी चाहिए।

<u>वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति</u>

(i) वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति का प्रयोग करते हुए अभिकलित किए गए बाज़ार संबंधी तुलन पत्रेतर लेनदेन की ऋण समतुल्य राशि इन संविदाओं के वर्तमान ऋण एक्सपोज़र तथा भविष्य में संभावित ऋण एक्सपोज़र का योग है । ऋण एक्सपोज़र की गणना करते समय बैंक `सोल्ड ऑप्शन्स" को ध्यान में न लें बशर्ते संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क अथवा किसी अन्य स्वरूप की आय प्राप्त/वसूल हुई है ।

(ii) वर्तमान ऋण एक्सपोज़र को इन संविदाओं के धनात्मक बाज़ार दर पर अंकित मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति में इन संविदाओं के बाज़ार मूल्य द्वारा विद्यमान ऋण एक्सपोज़र का आवधिक अभिकलन अपेक्षित होता है ।

(iii) संभावित भावी ऋण एक्सपोज़र इस बात पर ध्यान दिए बिना संविदा का बाज़ार दर पर अंकित मूल्य शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक है, इन संविदाओं में से प्रत्येक की काल्पनिक मूल राशि को लिखत के स्वरूप तथा अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार नीचे दर्शाए गए संबंधित एंड ऑन गुणक द्वारा गुणन करके निर्धारित कि जाता है ।

बाज़ार संबंधित तुलन पत्रेतर मदों के लिए ऋण परिवर्तन गुणक		
अवशिष्ट परिपक्वता	ऋण परिवर्तन गुणक	
	ब्याज दर संविदाएं	विनिमय दर संविदाएं तथा स्वर्ण
एक वर्ष अथवा उससे कम	0.50 प्रतिशत	2.00 प्रतिशत
एक वर्ष से अधिक से पांच वर्ष तक	1.00 प्रतिशत	10.00 प्रतिशत
पांच वर्ष से अधिक	3.00प्रतिशत	15.00 प्रतिशत

(iv) मूलधन के बहु विनिमय वाली संविदाओं के लिए एड ऑन गुणकों का संविदा में शेष भुगतान की संख्या द्वारा गुणन करना चाहिए ।

(v) उन संविदाओं के लिए जिन्हें विशिष्ट भुगतान तारीखों के अनुसार बकाया एक्सपोज़र के निपटान के लिए नियोजित किया गया है और जहां शर्तों को इस प्रकार पुनर्निर्धारित किया गया है कि इन विशिष्ट तारीखों को संविदा का बाज़ार मूल्य शून्य होगा, अवशिष्ट परिपक्वता अगली पुनर्निर्धारण की तारीख तक की अवधि के समतुल्य अवधि पर निर्धारित की जाएगी । तथापि, ब्याज दर संविदाओं के मामले में जिनकी अवशिष्ट परिपक्वताएं एक वर्ष से अधिक हैं और जो उपर्युक्त मानदंड, ऋण परिवर्तन गुणक अथवा लागू होनेवाले `एड ऑन गुणक' को पूर्ण करते हैं वे 1.00 प्रतिशत की न्यूनतम दर के अधीन होंगे ।

(vi) एकल मुद्रा अस्थिर/अस्थिर ब्याज दर स्वैप के लिए संभावित भावी ऋण एक्सपोज़र का अभिकलन नहीं किया जाएगा; इन संविदाओं पर लागू ऋण एक्सपोज़र का मूल्यांकन केवल उनके बाज़ार दर पर अंकित मूल्य के आधार पर किया जाएगा ।

(vii) संभावित भावी एक्सपोज़र आभासी के बजाय प्रभावी कल्पित राशियों के आधार पर होने चाहिए । इस स्थिति में जहां कथित कल्पित राशि में लेनदेन के स्वरूप के कारण वृद्धि अथवा वर्धन हुआ है, वहां भविष्य में संभावित एक्सपोज़र निर्धारित करने के लिए बैंकों को प्रभावी कल्पित राशि का प्रयोग करना चाहिए । उदाहरण के लिए, 1 मिलियन अमरीकी डालर की कथित काल्पनिक राशि जिसका भुगतान बीपीएसलआर की दो गुनी आंतरिक दर पर आधारित है, की प्रभावी काल्पनिक राशि 2 मिलियन अमरीकी डालर होगी ।

2.1.3.3 **<u>ऋण एक्सपोज़र</u>**

ऋण एक्सपोज़र में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं :

(क) सभी प्रकार की निधिक और गैर-निधिक ऋण सीमाएं

(ख) उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद वित्त और फैक्टरिंग सेवाओं के रूप में उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं

2.1.3.4 **<u>निवेश एक्सपोज़र</u>**

क) **निवेश** एक्सपोज़र में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे :

(i) कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों में निवेश।

(iii) वाणिज्यिक पत्रों में निवेश।

ख) वित्तीय आस्तियों की बिक्री के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों /बांडों /प्रतिभूति रसीदों /पी टी सी में बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के निवेश प्रतिभूतिकरण कंपनी /पुनर्निर्माण कंपनी के एक्सपोज़र होंगे । स्थिति के असामान्य स्वरूप को देखते हुए बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को प्रारंभिक वर्षों में मामला-दर-मामला आधार पर विवेकपूर्ण निवेश की उच्चतम सीमा से अधिक अनुमति दी जाएगी।

ग) बैंकों द्वारा ऐसी कंपनी के बांडों और डिबेंचरों में किया गया निवेश, जो किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था [1] (पीएफआइ) द्वारा **(अनुबंध 2** में दी हुई सूची के अनुसार) गारंटीकृत हैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्था में बैंक का एक्सपोज़र माना जायेगा, न कि उक्त कंपनी का।

घ) कंपनियों के बांडों के संबंध में पीएफआइ द्वारा जारी की गई गारंटियों के संबंध में वे गैर निधिक सुविधा होने के कारण, पीएफआइ का कंपनियों में एक्सपोज़र 50 प्रतिशत माना जाएगा, जब कि कंपनी बांडों के संबंध में गारंटी जारी करने वाली पीएफआइ में बैंक का एक्सपोज़र 100 प्रतिशत होगा। तथापि बांडों / डिबेंचरों के संबंध में गारंटी जारी करने से पूर्व पीएफआइ को वित्तीय प्रणाली में गारंटीकृत इकाई के समग्र एक्सपोज़र को ध्यान में लेना चाहिए।

2.1.3.5 **<u>पूंजीगत निधियां</u>**

इस प्रयोजन के लिए पूंजीगत निधियों में पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों में परिभाषित की गयी तथा पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के प्रकाशित लेखों के अनुसार टीयर I और

---

[1] आइसीआइसीआइ लि. का आइसीआइसीआइ बैंक लि. के साथ 30.03.2002 से विलय होने से आइसीआइसीआइ लि. की संपूर्ण देयताएं आइसीआइसीआइ बैंक लि. द्वारा ले ली गयी हैं । विलय की योजना के अनुसार सरकार द्वारा आइसीआइसीआइ लि. को प्रदान किये गये सभी ऋण और गारंटी संबंधी सुविधाएं विलयित संस्था को अंतरित हो जायेंगी। इसी प्रकार, बैंकों द्वारा पहले के आइसीआइसीआइ लि. में किये गये निवेशों को उनके परिशोधन तक 40 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से बाहर माना जायेगा ।

आइडीबीआइ लि . का आइडीबीआइ बैंक लि. के साथ 2 अप्रैल 2005 से विलय होने से आइडीबीआइ लि. की संपूर्ण देयताएं आइडीबीआइ बैंक लि. द्वारा ले ली गयी हैं। अतः ऋण आदि जेखिम मानदंडों के प्रयोजन के लिए भूतपूर्व आइडीबीआइ लि. द्वारा गारंटीकृत कंपनियों के बांडों तथा डिबचरों में बैंकों द्वारा किए गए निवेशों को परिशोधन होने तक आइडीबीआइ बैंक लि. पर न कि कंपनियों पर बैंकों का ऋण आदि जोखिम समझाज्जाता रहेगा । इसी तरह बैंकों द्वारा भूतपूर्व आइडीबीआइ लि. में किए गए निवेशों को उनके परिशोधन होने तक, पूंजी बाज़ार के ऋण आदि जेखिम के 40 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के बाहर माना जाएगा ।

टीयर II पूंजी शामिल होगी। तथापि, प्रकाशित किए गए तुलन पत्र की तारीख के बाद टीयर I और टीयर II के अंतर्गत देशी अथवा विदेशी निर्गम (विदेशी बैंकों की भारत में कार्यरत शाखाओं के मामले में समय-समय पर संशोधित नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर मास्टर परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा अपने प्रधान कार्यालय से प्राप्त पूंजीगत निधियां) द्वारा पूंजी में की गयी वृद्धि को भी एक्सपोज़र निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तिमाही लाभों आदि से पूंजीगत निधियों में हुई वृद्धि एक्सपोज़र सीमा को निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिए जाने के लिए पात्र नहीं होगी। भविष्य में पूंजी में होने वाली वृद्धि की प्रत्याशा में निर्धारित सीमा के अतिरिक्त एक्सपोज़र लेने से भी बैंकों को प्रतिबंधित किया गया है।

2.1.3.6 **<u>समूह</u>**

क) `समूह' की अवधारणा और विशेष औद्योगिक समूह से संबंधित उधारकर्ताओं की पहचान का कार्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की समझ पर छोड़ दिया गया है । जोखिम आस्तियों पर अपने एक्सपोज़र को नियमित करने के प्रयोजनार्थ बैंक / वित्तीय संस्थाएं सामान्यत: अपने ग्राहकों के आधारभूत गठन से परिचित रहते हैं । अत: कोई विशिष्ट उधारकर्ता इकाई किस समूह से संबंधित है इसका निर्धारण बैंकों के पास उपलब्ध संगत सूचना के आधार पर किया जा सकता है । इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत प्रबंधन का एक होना और कारगर नियंत्रण है । जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है उनपर केवल एकल उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा लागू होगी ।

ख) समूह में विभाजन होने के मामले में, यदि विभाजन औपचारिक है तो अलग हुए समूहों को अलग-अलग समूह माना जायेगा। यदि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को विभाजन की सत्यता में कोई संदेह हो तो वे भारतीय रिज़र्व बैंक को लिखें, ताकि रिज़र्व बैंक इस बारे में अंतिम विचार बना सके कि यह विभाजन सामूहिक दृष्टिकोण के अंतर्गत वर्गीकृत होने से बचने के लिए तो नहीं किया गया है ।

2.1.4 <u>समीक्षा</u>

जोखिम प्रबंधन के उपायों के कार्यान्वयन की वार्षिक समीक्षा जून की समाप्ति से पहले निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाये ।

2.2 <u>उद्योग और कुछ निश्चित क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र</u>

2.2.1 आंतरिक एक्सपोज़र सीमाएं

2.2.1.1 क्षेत्रवार सीमाएं निश्चित करना

ऊपर बताये गये अनुसार एकल उधारकर्ता अथवा उधारकर्ताओं के समूह को दिए जाने वाले एक्सपोज़र को सीमित करने के अलावा बैंक विशिष्ट क्षेत्रों यथा वस्त्र उद्योग, जूट, चाय आदि के प्रति समेकित वचनबद्धताओं की आंतरिक सीमाएं नियत करने पर भी विचार करें, ताकि एक्सपोज़र विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वितरित रहे। बैंकों द्वारा ये सीमाएं विभिन्न क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन और जोखिमों के संबंध में अपनी धारणाओं को ध्यान में रखते हुए नियत की जा सकती हैं । इस प्रकार नियत की गयी सीमाओं की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार उन्हें संशोधित भी किया जाना चाहिए।

2.2.1.2 कंपनियों के बचाव व्यवस्था (हेज) न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बैंक के पास एक ऐसी नीति है जो उनके ग्राहकों के विदेशी मुद्रा एक्सपोज़रों से उभरनेवाले जोखिमों को स्पष्टत: पहचानती है और उन पर ध्यान देती है, **10** मिलियन अमरीकी डालर अथवा बैंकों के ऐसे एक्सपोज़रों के संविभागों की तुलना में उचित समझी गई निम्नतर सीमाओं से अधिक के विदेशी मुद्रा ऋण बैंकों को केवल ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों को हेज करने के संबंध में उनके बोर्ड की सुनिर्धारित नीति के आधार पर ही प्रदान करने चाहिए । साथ ही, हेज करने के लिए उनके बोर्ड द्वारा बनाई गई नीति सुविधाजनक हो इसलिए उसमें से निम्नलिखित को निकाल देने पर विचार किया जाए :

- जहां फॉरेक्स ऋण निर्यातों के लिए दिए जाते हैं, वहां बैंक हेज करने पर जोर न दें लेकिन स्वयं को इस बात से आश्वस्त रखें कि ऐसे ग्राहकों के पास ऋण की राशि को कवर करने के लिए भार रहित प्राप्य राशियां हैं ।

- जहां फॉरेक्स ऋण, फॉरेक्स व्यय को पूर्ण करने के लिए दिए गए हैं ।

बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की नीति में उनके सभी ग्राहकों के जिनमें छोटे तथा मझौले उद्यम शामिल हैं, हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोज़रों को कवर किया जाना चाहिए । साथ ही, ग्राहकों के हेज न किए गए कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का अभिकलन करने के लिए विदेशी मुद्रा उधार तथा बाहरी वाणिज्यिक उधारों सहित सभी स्रोतों से उनके एक्सपोज़र को हिसाब में लिया जाना चाहिए ।

जिन बैंकों के अपने ग्राहकों के प्रति बहुत बड़े एक्सपोज़र हैं, उन्हें एक पर्याप्त रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से अपने उन ग्राहकों के विदेशी मुद्रा एक्सपोज़रों के हेज न किए गए भाग की मासिक आधार पर निगरानी तथा समीक्षा करनी चाहिए, जिनके कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र काफी बड़े हैं (जैसे **25** मिलियन डालर अथवा उसके समतुल्य राशि) । एसएमई के हेज न किए गए एक्सपोज़र की समीक्षा भी मासिक आधार पर की जानी चाहिए । सभी अन्य मामलों में ऐसी स्थिति की तिमाही आधार पर निगरानी तथा समीक्षा करने के लिए बैंकों को कोई प्रणाली स्थापित करनी चाहिए ।

संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के मामले में उपर्युक्त के अनुसार ग्राहकों के हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करने में अग्रणी भूमिका संघीय प्रमुख/सबसे अधिक एक्सपोज़र रखने वाले बैंक को निभानी होगी ।

डेरिवेटिव ट्रेड से संबंधित हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि कार्पोरेट द्वारा अत्यधिक जोखिम लेने से उनपर विकट संकट हो सकता है और मुद्रा में तेज प्रतिकूल घट-बढ़ के कारण उनके बैंकरों को विशाल संभावित साख क्षति हो सकती है । विदेशी मुद्रा जोखिम के विवेकपूर्ण प्रबंध की महत्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बैंक कार्पोरेट को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं देते समय, कार्पोरेट के बिना हेज किये विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले जोखिम का गंभीरता से मूल्यांकन करें और ऋण जोखिम प्रीमियम में उसका मूल्य निर्धारण करें । इसके अलावा, बैंक अपनी बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर कार्पोरेटों के बिना हेज किये पोजीशन पर एक सीमा निर्धारित करने पर भी विचार कर सकते हैं ।

बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे 'सहायता संघीय व्यवस्था/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण' पर 8 दिसंबर 2008 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 94/08.12.001/2008-2009 में निर्दिष्ट आपस में सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन करें ।

2.2.1.3 **<u>स्थावर संपदा में एक्सपोज़र</u>**

(i) बाँकों को स्थावर संपदा के लिए ऋणों की कुल राशि की अधिकतम सीमा, ऐसे ऋणों के लिए एकल /सम्ाझह एक्सपोज़र सीमाओं, मार्जिन, जमानत, चुकौती सारणी और पूरक वित्त की उपलब्धता के संबंध में व्यापक विवेकपूर्ण मानदंड बनाने चाहिए और इस नीति का बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए।

(ii) स्थावर संपदा से संबंधित ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए जहां आवश्यक हो वहां सरकार/स्थानीय सरकारों/ अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति प्राप्त की है। इस उद्देश्य से कि उपर्युक्त के कारण ऋण अनुमोदन प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए, प्रस्तावों को सामान्य रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन उधारकर्ता द्वारा सरकारी प्राधिकरणों से अपेक्षित मंजूरी/अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही उन्हें वितरित किया जाए। बैंकों के बोर्ड स्थावर संपदा में एक्सपोज़र संबंधी अपनी नीतियों में नैशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के अनुपालन से संबंधित पहलुओं को शामिल करने पर भी विचार करें। एनबीसी संबंधी जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाईट पर उपलब्ध है। बैंकों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशानिर्देशों को अपनाना चाहिए और उन्हें अपनी ऋण नीतियों, क्रियाविधियों तथा प्रलेखनों के एक भाग के रूप में उचित रूप से सम्मिलित करना चाहिए ।

(iii) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) स्थापित करने अथवा एसईज़ेड में जिसमें स्थावर संपदा शामिल है, इकाईयां अर्जित करने के लिए बैंकों द्वारा कंपनियों में किए गए एक्सपोज़र को विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से जोखिम भार और पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से वाणिज्य स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोज़र माना जाएगा तथा बैंकों को ऐसे एक्सपोज़र के लिए वियमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान तथा उचित जोखिम भार भी निर्धारित करने होंगे। उपर्युक्त एक्सपोज़र को केवल एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन के लिए बुनियादी सुविधा क्षेत्र में एक्सपोज़र माना जाए क्योंकि एक्सपोज़र मानदंड बुनियादी सुविधा क्षेत्र के लिए कुछ छूट प्रदान करते हैं । इस संबंध में 9 सितंबर 2009 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.015/2009-10 के पैराग्राफ 3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(iv) बैंक की नीति निर्धारित करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाये। बैंक यह सुनिश्चित करें कि बैंक के ऋण का उपयोग उत्पादक निर्माण कार्यों के लिए ही किया जाये, स्थावर संपदा में सट्टेबाजी के लिए नहीं ।

2.2.2 <u>पट्टेदारी, किराया खरीद और फैक्टरिंग सेवाओं में एक्सपोज़र</u>

बैंकों को पट्टेदारी, किराया खरीद तथा आढत (फैक्टरिंग) कार्यों को विभागीय तौर पर करने की अनुमति दी गई है। जहां बैंक इन कार्यों को विभागीय तौर पर करते हैं, वहां उन्हें कुल ऋण की तुलना में उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद तथा आढ़त सेवाओं का संतुलित संविभाग बनाए रखना होगा। इनमें से प्रत्येक गतिविधि में उनका एक्सपोज़र कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.2.3 <u>विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों /प्◌ाझर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों की विदेश स्थित सहायक कंपनियों की सहायक कंपनियों (स्टेप-डाउन सब्सिडियरिज़) में एक्सपोज़र</u>

2.2.3.1 बैंकों को, विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों /पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियों के पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों को ऋण/ गैर ऋण (अर्थात साखपत्र और गारंटी) सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति◌ है । बैंकों को अपने विवेक से, भारत से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात सुसाध्य बनाने हेतु विदेशी पार्टियों को क्रेता ऋण/ स्वीकृति वित्त प्रदान करने की भी अनुमति◌ है ।

2.2.3.2 परंतु उपर्युक्त एक्सपोज़र निम्नलिखित शर्तों के अधीन, बैंक की अक्षत पूंजी (टीयर I और टीयर II पूंजी) के 20 प्रतिशत से अनधिक होगा :-

i. केवल उन्हीं संयुक्त उद्यमों को ऋण प्रदान किया जायेगा जहां भारतीय कंपनी की धारिता 51% से अधिक होगी ।

ii. दूसरे देशों में इस प्रकार के उधार देने से उत्पन्न ऋण जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए समुचित प्रणालियां लागू की गई हों ।

iii. ये सुविधाएं देते समय बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 25 का अनुपालन करना होगा जिसके अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में आस्तियां भारत में उसकी मांग व मीयादी देयताओं के 75 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

iv. इस प्रकार के उधार दिए जाने के लिए संसाधन का आधार एफ सी एन आर (बी), ई ई एफ सी, आर एफ सी इत्यादि जैसे विदेशी मुद्रा खातों में धारित निधियां होनी चाहिए, जिनके बारे में बैंकों को विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करना पड़ता हो ।

v. इस प्रकार के लेनदेनों से उत्पन्न अधिकांश आस्तियों और देयताओं के असंतुलन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित समग्र अंतर सीमाओं के भीतर होते हों ।

vi. देशी ऋण /ऋणेतर एक्सपोजरों पर लागू पूंजी पर्याप्तता, एक्सपोज़र मानदंडों इत्यादि से संबंधित सभी वर्तमान रक्षोपायों /विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन किया जाता हो ।

vii. स्टेप-डाउन सहायक कंपनी का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि बैंक अपने द्वारा दी गई सुविधाओं की प्रभावी रूप से निगरानी कर सकते हों ।

2.2.3.3 इसके अतिरिक्त, ऐसी ऋण /ऋणेतर सुविधा के लिए बनायी जाने वाली ऋण नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए:

(क) इस प्रकार के ऋणों की स्वीकृति परियोजना को समर्थन देने वाले प्रवर्तकों की सिर्फ ख्याति पर नहीं, बल्कि परियोजना के समुचित मूल्यांकन और उसकी वाणिज्यिक सक्षमता पर आधारित हो । गैर-निधिक सुविधाओं की संवीक्षा उतनी ही सख्ती से की जानी चाहिए जितनी सख्ती से निधि पर आधारित सीमाओं की संवीक्षा की जाती है ।

(ख) उन देशों में, जहां संयुक्त उद्यम /पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थित हों, विदेशी मुद्रा ऋण इत्यादि प्राप्त करने या विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन के लिए इन कंपनियों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होना चाहिए और अनिवासी बैंकों को विदेश स्थित प्रतिभूतियों / आस्तियों पर कानूनी भार लेने की अनुमति होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनके निपटान का भी अधिकार होना चाहिए ।

2.2.3.4 बैंकों को पूँजी पर्याप्तता से संबंधित सभी वर्तमान रक्षोपायों / विवेकपूर्ण दिशानिर्देशोंऔर ऊपर पैरा 2.1 में बताए गए जोखिम संबंधी मानदंडों का अनुपालन भी करना चाहिए ।

2.3 पूंजी बाज़ारों में बैंकों के एक्सपोज़र - मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना

वर्ष 2005- 2006 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में घोषित किए गए अनुसार, बैंकों के लिए निर्धारित किए गए पूंजी बाज़ार में एक्सपोज़र संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को आधार तथा व्याप्ति के अनुसार युक्तिसंगत बनाया गया है। तदनुसार, पूंजी बाज़ारों में बैंकों के एक्सपोज़र पर विद्यमान दिशानिर्देशों को आशोधित किया गया और **1 अप्रैल 2007** से प्रभावी हुए संशोधित दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं ।

2.3.1 पूंजी बाज़ार एक्सपोजर (सीएमई) के घटक

बैंकों के पूंजी बाज़ार एक्सपोज़रों में उनके प्रत्यक्ष एक्सपोज़र तथा अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र दोनों शामिल होंगे। पूंजी बाज़ारों में बैंकों को सभी प्रकार के कुल एक्सपोज़र (निधि तथा गैर-निधि आधारित दोनों) में निम्नलिखित शामिल होगा :

i. ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों, की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी संपूर्ण राशि केवल कंपनी ऋण में निवेशित नहीं है;

ii. शेयर (आइपीओ /ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडो की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों /बांडो/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम;

iii. अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है;

iv. शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों समर्थक जमानत द्वारा रक्षित हिस्से की सीमा तक अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों /परिवर्तनीय डिबेंचरों /ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों से अन्य प्राथमिक जमानत अग्रिमों को पूर्णत: कवर नहीं करती, किन्ही अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम;

v. शेयर दलालों को जमानती तथा बेजमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटिया;

vi. संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों /बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बिना जमानत के कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण;

vii. अपेक्षित ईक्विटी प्रवाहों /निर्गमों की जमानत पर कंपनियों को दिए गए तात्कालिक (ब्रिज) ऋण;

viii. शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों की हामीदारी प्रतिबद्धताएं ; तथापि 16 अप्रैल 2008 से एकल बैंक तथा समेकित बैंक के पूंजी बा़ज़ार एक्सपोज़र का अभिकलन करने के प्रयोजन से बैंक बुक रनिंग प्रक्रिया के माध्यम से दी गयी अपनी खुद की तथा अपनी सहायक कंपनियों की हामीदारी प्रतिबद्धताओं को शामिल न करें । इससे संबंधित स्थिति की भविष्य में समीक्षा की जाएगी ।

ix. मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण;

x. जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा पंजीकृत न किए गए दोनों) में सभी एक्सपोज़र।

2.3.2 <u>अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं **(**आइपीसी**)**</u>

बैंक घरेलू म्यूचुअल फंडों/विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गये लेनदेन को आसान बनाने के लिए इन ग्राहकों की ओर से स्टॉक एक्सचेंज के पक्ष में अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं (आइपीसी) जारी करते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि देश के पूंजी बाजार के कामकाज में किसी प्रकार की अनुचित रुकावट न आने पाए, ईक्विटी कीमतों में प्रतिकूल रूप से होने वाले उतार-चढ़ाव तथा घरेलू म्यूचुअल फंडों/विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा चूक की संभावना से बैंकों को सुरक्षित रखने के लिए जोखिम कम करने वाले निम्नलिखित उपाय निर्धारित किए गए हैं जो कि 1 नवंबर 2010 से प्रारंभ होनेवाली अवधि से अगली समीक्षा तक लागू होंगे।

(i) केवल उन्हीं अभिरक्षक बैंकों को अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं जारी करने की अनुमति दी जाएगी जो अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले करार में ऐसी शर्त शामिल करेंगे जो उन्हें किसी निपटान के बाद अदायगी के रूप में प्राप्त होने वाली प्रतिभूतियों पर अहस्तांतरणीय अधिकार प्रदान करती हो; तथापि जिन मामलों में लेनदेन से पहले निधि उपलब्ध रही है अर्थात् ग्राहक के खाते में स्पष्ट रूप से भारतीय रुपये में निधियां उपलब्ध रही हैं और विदेशी मुद्रा सौदों के मामले में बैंक के नोस्ट्रो खाते को अभिरक्षक बैंकों द्वारा अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं जारी करने से पहले क्रेडिट कर दिया गया है, उन मामलों में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले करार में भुगतान के रूप में प्राप्त होने वाली प्रतिभूति पर अहस्तांतरणीय अधिकार संबंधी खण्ड की अपेक्षा के अनुपालन का आग्रह नहीं किया जाएगा ।

(ii) अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं जारी करने वाले अभिरक्षक बैंकों को होने वाले अधिकतम जोखिम की गणना सौदे की तारीख (टी) से दो क्रमागत दिवस को विदेशी संस्थागत निवेशकों/म्यूचुअल फंडों द्वारा खरीदी गई ईक्विटियों की कीमतों में गिरावट के पूर्वानुमान के 50% के रूप में की जाएगी अर्थात् टी + 1 तथा टी + 2 में से प्रत्येक के लिए 20% की दर से तथा कीमतों में और गिरावट के लिए 10% के अतिरिक्त मार्जिन की गणना की जाएगी।

(iii) तदनुसार, टी+1 पर संभावित जोखिम की गणना निपटान की राशि के 50% की दर से की जाएगी और यह राशि टी+1 की समाप्ति पर पूंजी बाजार के प्रति एक्सपोज़र मानी जाएगी बशर्ते मार्जिन भुगतान / आरंभिक भुगतान न हुआ हो ।